छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014 (फाल्गुन 2, 1935)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013 **पटल पर रखेंगे.**

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995)की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 **पटल पर रखेंगे.**

(4) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम,1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री खेलसाय सिंह, अमरजीत भगत, सदस्य, जिला सूरजपुर अंतर्गत केरता में संचालित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना प्रबंधन द्वारा शक्कर एवं मोलासिश विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. सनम जांगड़े, सदस्य, कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल में चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सकों का अभाव होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक,2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमशः 2

5. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय				
3 घंटे (चर्चा क्रमशः)	(1)	मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
		मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	31	योजना,आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
		मांग संख्या	65	विमानन विभाग
		मांग संख्या	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान
		मांग संख्या	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय
		मांग संख्या	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
		मांग संख्या	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	43	खेल और युवक कल्याण
		मांग संख्या	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
		मांग संख्या	10	वन
2 घंटे 30 मिनट	(2)	मांग संख्या	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		मांग संख्या	18	श्रम
		मांग संख्या	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
2 घंटे 30 मिनट	(3)	मांग संख्या	15	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या	33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
		मांग संख्या	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
		मांग संख्या	49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या	53	अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या	64	अनुसूचित जाति उपयोजना

मांग संख्या	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
मांग संख्या	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	27	स्कूल शिक्षा

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

30 मिनट (1) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि " भाटापारा विकासखंड के ग्राम चमारगुड़ा का नाम परिवर्तित कर गोपालपुर तथा सिमगा विकासखंड के ग्राम चोरहानवांगांव का नाम परिवर्तित कर नवांगांव किया जाय."

1 घंटा (2) श्री बर्नाड जे. रोड्रिग्स, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि " प्रदेश में सभी दुपहिया वाहन चालकों हेतु अनिवार्य रूप से हेलमेट प्रयोग को सुनिश्चित किया जाय."

रायपुर
दिनांक 20 फरवरी, 2014

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.